

वित्तीय बैंक प्रकरण संख्या 140/2022(GCMS : 2022/204) पंजाब नेशनल बैंक ज़रिये  
श्री चतुर्भुज यादव, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक,  
शाखा-गौशाला रोड, 173-174 जी ब्लॉक, सुखाडिया सर्कल, श्रीगंगानगर ब्रिज  
1. श्रीमती ममता पत्नी कृष्ण कुमार निवासी वार्ड नं. 47, बापू नगर, श्रीगंगानगर  
2. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री दिशा राम निवासी वार्ड नं 47, बापू नगर, श्रीगंगानगर,

24.07.2023



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ममता एवं कृष्ण कुमार को ऋण सुविधा के रूप में कुल 5,77,842/- रुपये (अखरे रुपये पांच लाख सत्तर हजार पांच सौ बियालीस रुपये मात्र) का ऋण दिनांक 05.11.2020 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ममता की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गगज) चक 4 जी बड़ी, गांव कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 01.02.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.02.2022 को 5,85,662/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 21.02.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.02.2022 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2)के नोटिस की चस्पांदगी रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है एवं दिनांक 17.05.2022 के समाचार

जिला माजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

उक्त सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन भी करवाया है. इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई अप्रार्थी ममता की सम्पत्ति प्लॉट -37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गगज) चक 4 जी बड़ी, गांव कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर नगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ममता को 5,77,842/- रुपये (अखरे रुपये पांच लाख सत्तर हजार आठ सौ बियालीस मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 05.11.2020 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ममता ने अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं.-37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गगज) चक 4 जी बड़ी, गांव कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.02.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.02.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.02.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसकी रिपोर्ट "Item Returned Addressee cannot be located" के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस को अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर नोटिस चस्पा कर दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 17.05.2022 को प्रकाशित करवाया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।


जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ममता की सम्पत्ति प्लॉट नं.-37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गगज) चक 4 जी बड़ी, गांव कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.02.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.02.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.02.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 17.05.2022 को प्रकाशित करवाया है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी ममता के

इस प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी ममता द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं.-37, रॉयल एन्क्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गगज) चक 4 जी बड़ी, गांव कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अंशदीप)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर  
श्री गंगानगर